

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-गम्भीरपुर

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के दृष्टिगत वांछित, वारंटी अभियुक्त की गिरफ्तारी विषयक अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 10.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक गम्भीरपुर ज्ञानू प्रिया मय राह द्वारा वांछित, वारंटी एवं ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर से सूचना मिली कि मु0अ0स0- 166/2020 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शम्भू खुर्रमपुर तिराहे पर मौजूद है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक गम्भीरपुर मयराह के खुर्रमपुर तिराहे पर पहुँचकर एक व्यक्ति को समय करीब 07.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शम्भू पुत्र मोतीलाल निवासी परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया। गिरफ्तार अभियुक्त को उसके अपराध का बोध कराकर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0-166/2020 धारा 304 भादवि थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त

शम्भू पुत्र मोतीलाल निवासी परशुरामपुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम

ज्ञानू प्रिया प्रभारी निरीक्षक थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का. संतोष कुमार मिश्रा थाना गंभीरपुर आजमगढ़

का. बैजनाथ सरोज थाना गंभीरपुर आजमगढ़

म.का. स्वप्निल सक्सेना थाना गंभीरपुर आजमगढ़

थाना-सिधारी

जिला बदर अपराधी दो कि०ग्रा० गाँजा के साथ गिरफ्तार

मु0अ0सं0 102/19 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 Pacso Act थाना सिधारी आजमगढ़ बनाम अखिलेश पाल पुत्र जग्गू पाल साकिन धनकपुर थाना सिधारी आजमगढ़ पंजीकृत है। दिनांकित 31.10.2020 न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मण्डल आजमगढ़ वाद संख्या 01183/2020 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202015060001183 स्टेट बनाम अखिलेश पाल अन्तर्गत धारा 3(1) अधिनियम उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 आदेश प्रस्तुत वाद की कार्यवाही में 06 माह के लिए जिला बदर का आदेश हुआ है।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में प्र०नि० धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय मय उ०नि० हरिश्चन्द्र प्रसाद मय राह के साथ रवाना होकर शाहगढ़ चौराहे पर मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि न्यायालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मण्डल आजमगढ़ वाद संख्या 01183/2020 में जिला बदर हुये अपराधी अखिलेश पाल पुत्र जग्गू पाल निवासी ग्राम धनकपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ सठियांव की तरफ अवैध गाँजा ले कर आ रहा है जो लुक छिप कर यही काम कर रहा है जो इस समय जिला बदर चल रहा है। उ०नि० मुखवीर की बात को राही कर्म० गण को मुखबिर की सूचना से अवगत कराकर शाहगढ़ के पास से एक व्यक्ति को समय 16.15 बजे गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम अखिलेश पाल s/o जग्गू पाल सा० धनकपुर थाना सिधारी आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त के पास से 2 कि०ग्रा० नाजायज गाँजा बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं०- 76/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

अखिलेश पाल पुत्र जग्गू पाल निवासी ग्राम धनकपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ गिरफ्तार

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं० 76/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं० 102/19 धारा 363/366/376 ipc व 3/4 Pacso act थाना सिधारी आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 76/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 77/21 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डागर्दी निवारण अधिनियम 1970 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

बरामदगी

02 किग्रा0 नजायज गाजा

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़।
2. उ0नि0 हरिश्चन्द्र प्रसाद थाना सिधारी आजमगढ़।
3. हे0का0 आवधेश सिंह थाना सिधारी आजमगढ़।
4. का0 अभिमीत तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज

थाने का टापटेन अपराधी के साथ एक हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, दो अवैध चापड भी बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह ह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.04.2021 को थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय फोर्स के तहत तलाश वांछित/वारण्टी अपराधी रोकथाम जूर्म जरायम के दृष्टीगत देखभाल क्षेत्र, जांच भ्रमण अगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मौजूद थे कि मुखबिर खास सूचना मिली अभि 0 तौसीफ उर्फ राजू जो थाना बिलरियागंज का टाप- 10 अपराधी हैं। बिलरियागंज देहात की तरफ से कासिमगंज तिराहे की तरफ आ रहा हैं। उसके पास नाजायज चाकू हैं। यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता हैं। इस सूचना पर विश्वास कर राही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुये मय मुखबिर के कासिमगंज तिराहे पर पहुंचे कि एक व्यक्ति अकटहिया रोड पकड़े कासिमगंज बाजार की तरफ पैदल आता दिखाई दिया मुखबिर इशारा करके हट बढ़ गया कि पुलिस द्वारा कासिमगंज मोड़ से करीब 100 कदम आगे अकटहिया के पास उस व्यक्ति को घेर घारकर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम तौसीफ उर्फ राजू पुत्र स्व 0 आरिफ सा0 छिछोरी थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष बताया। उसके जामा तलाशी से एक अदद चाकू (चापड) लोहे की बरामद हुआ। अभियुक्त तौसीफ उर्फ राजू को अन्तर्गत धारा 4/25 आयुध अधि0 का अपराध बताकर समय करीब 17.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया

उसी के क्रम में दिनांक- 09.04.2021 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव मय हमराह को जरिये मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कन्धरापुर की तरफ से पैदल जैराजपुर की तरफ आ रहा हैं। उसके पास नाजायज चाकू हैं वह थाने का हिस्ट्रीशीटर है। यदि जल्दी किया जाय तो मिल सकता हैं इस सूचना पर विश्वास करके राही को मकसद बताते हुए मय मुखबीर के वहाँ से प्रस्थान कर जैराजपुर कन्धरापुर मोड़ के करीब पहुँचा कि मुखबिर ने इशारा करके बताया जो व्यक्ति पैदल आ रहा हैं वही हैं, कह के हट बढ़ गया कि जैराजपुर तिराहे से करीब 100 कदम पहले ही आने वाले व्यक्ति को एकाएक घेर घार कर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो उसने अपना नाम अजमैन पुत्र जुम्मन निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष बताया इसके पास से भी एक अदद चाकू (चापड) लोहे की बरामद हुआ जिसे अन्तर्गत धारा 4/25 A. ACT.का अपराध बताकर समय करीब 17.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0सं0 67/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
 - 2- मु0अ0सं0 68/2021 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- पूछताछ विवरण:- अभियुक्त द्वारा शौक मे कट्टा रखने की बात बता रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

- तौसीफ उर्फ राजू पुत्र स्व0 आरिफ सा0 छिछोरी थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- अजमैन पुत्र जुम्मन निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़

बरामदगी-

- 02 अदद अवैध चाकू (चापड)।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1-थानाध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 2-उ0नि0 ओमप्रकाश यादव प्रथम थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 3- हे0का0मो0 आफताब खाँ थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 4-का0 अमरजीतथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 5- म0का0 प्रतिभा चौहान थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज
आबकारी अधिनियम में एक गिरफ्तार

हे0का0सरोज पाण्डेय थाना-जहानागंज जिला-आजमगढ उपस्थित थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि रविशंकर सोनकर उर्फ गोलू पुत्र पन्ना सोनकर सा0 कालीनगंज कदमघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढके कब्जे से अवैध 20 लीटर ताडी बरामद होने के सम्बन्ध मे दाखिल किये कि दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय मे मु0अ0सं0 78/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम बनाम रविशंकर सोनकर उर्फ गोलू पुत्र पन्ना सोनकर सा0 कालीनगंज कदमघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया ।

दिनांक 10.04.2021 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ के आदेश के अनुपालन मे व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्वेक्षण मे वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब बरामदगी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अभियुक्त रविशंकर सोनकर उर्फ गोलू पुत्र पन्ना सोनकर सा0 कालीनगंज कदमघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढको समय करीब 11.00 बजे दिन मे बजहा के पास से 20 लीटर ताडी के साथ गिरफ्तार किया गया जिसके आधार पर थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 78/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया । अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया ।

पूछताछ विवरण:-रविशंकर सोनकर उर्फ गोलू पुत्र पन्ना सोनकर सा0 कालीनगंज कदमघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढअपनी गलती की बार-बार माफी मांग रहा है ।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 78/2021 धारा 60 आबकारी अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1- रविशंकर सोनकर उर्फ गोलू पुत्र पन्ना सोनकर सा0 कालीनगंज कदमघाट थाना कोतवाली जनपद आजमगढ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.हे0का0 सरोज पाण्डेय थाना- जहानागंज, आजमगढ ।

2.का0 मुकेश यादव थाना- जहानागंज, आजमगढ ।